प्रेस नोट दिनांक 05.07.2024 जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना फतनपुर -

दहेज हत्या व दहेज उत्पीड़न के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार ।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा सुवंशा बाजार में जगतपुर बैरियर के पास से अभियुक्त गिरफ्तार ।

नये आपराधिक कानून के तहत दर्ज था मुकदमा ।

अभियुक्त के गिरफ्तार हेतु दी जा रही थी दबिश ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही एवं रोकथाम के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक, पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय कुमार साहनी के कुशल नेतृत्व में थाना फतनपुर से उ0नि0 प्रभात मय हमराह देखभाल क्षेत्र/चेकिंग एंव तलाश वांछित, वारण्टी / विवेचना के दौरान क्षेत्रान्तर्गत सुवंसा बाजार में मौजूद थे कि मुखबिर द्वारा मु0अ0सं0 138/24 धारा 85/80 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट में वांछित अभियुक्त आदेश चौधरी पुत्र रामखेलावन उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम नौडेरा बन्दी पट्टी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ के जगतपुर बैरियर के पास मौजूद होने की सूचना पाकर तत्काल वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु बताये गये स्थान पर पहुंचकर क्षेत्रांर्गत सुवंशा बाजार के जगतपुर बैरियर के पास दबिश देकर अभियुक्त आदेश चौधरी उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण –

आदेश चौधरी पुत्र रामखेलावन उम्र 43 वर्ष निवासी ग्राम नौडेरा बन्दी पट्टी थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 138/24 धारा 85/80 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट ।

घटना का संक्षिप्त विवरण – वादी मुकदमा की बहन को उसके ससुरालजन द्वारा दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न करने व दिनांक 02.07.2024 को वादी मुकदमा की बहन की दहेज की लिए हत्या करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर दिनांक 04.07.2024 को थाना फतनपुर में मु0अ0सं0

138/24 धारा 85/80 बी0एन0एस0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 05 नामजद के पंजीकृत किया गया था।

पुलिस टीम – उ0नि0 प्रभात कुमार मय हमराह का0 दशरथ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात -

मोबाइल छीनकर भाग रहे 02 अभियुक्तों को थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा चौकी कटरा के पास से गिरफ्तार किया गया

घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल को सीज किया गया

अभियुक्तों के कब्जे से लूट का मोबाइल फोन बरामद

घटना का विवरण-

दिनांक 04.07.2024 की शाम वादी पेट्रोल पंप बढनपुर से खाना लेने कटरा जा रहा था उसी समय थाना क्षेत्रान्तर्गत ALT के गेट के पास पीछे से आ रहे मोटर साइकिल सवार दो लोगों ने वादी को रोककर मोबाइल छीनकर भागने के प्रकरण में तहरीर के आधार पर दिनांक 05.07.2024 को थाना कोतवाली देहात में **मु0अ0सं0 231/2024 धारा 309, 317(2) BNS** का अभियोग पंजीकृत गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली देहात पुलिस द्वारा जनता के सहयोग से 02 अभियुक्तगण- **1. सोनू गौड़ पुत्र अजय कुमार निवासी कहरौटी रुपापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ 02. सचिन कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़** को 01 अदद लूट का मोबाइल व घटना में प्रयुक्त 01 अदद मोटर साइकिल के साथ क्षेत्रान्तर्गत चौकी कटरा के पास से गिरफ्तार किया गया। घटना में प्रयुक्त बरामद मोटर साइकिल को धारा 207 MV ACT सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सोनू गौड़ पुत्र अजय कुमार निवासी कहरौटी रुपापुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

02. सचिन कुमार पुत्र हरिश्चन्द्र निवासी पूरे चकई, थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

01. लूट का 01 अदद मोबाइल बरामद।

02. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 मृत्युन्जय पाण्डेय मय हमराह का0 पंकज कुमार, का0 राहुल सिंह थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली देहात -

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान चोरी की 01 मोटर साइकिल फर्जी नंबर प्लेट के साथ बरामद

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत सुखपाल नगर तिराहे के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

चोरी की मोटर साइकिल के संबंध में थाना संग्रामपुर, जनपद अमेठी में अभियोग पंजीकृत था

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 04.07.2024 को समय 16.45 बजे अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी, प्रतापगढ़ श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री शिवनारायण वैश्य के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात के नेतृत्व में उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह मय हमराह, उ0नि0 अखलेश प्रताप, हे0का0 अमानत अंसारी, का0 मनीष पाण्डेय, का0 राजेश कुमार द्वारा

देखभाल संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, थाना क्षेत्रान्तर्गत सुखपाल नगर तिराहे के पास 01 अभियुक्त, विकास कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी पांचो सिद्ध बनवीर काछ थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़ को (फर्जी नंबर प्लेट) चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि यह मोटर साइकिल चोरी की है, हम फर्जी नंबर प्लेट लगाकर चला रहे थे, पकडे जाने के डर से भाग रहा था।

अभियुक्त विकास कुमार उपरोक्त के कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया, उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना कोतवाली देहात में मु0अ0सं0 230/2024 धारा 317(2), 318(4), 336(2) BNS का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

मोटर साइकिल की चोरी होने के संबंध में जनपद अमेठी के थाना संग्रामपुर में मु0अ0सं0 107/2023 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत था।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

विकास कुमार पुत्र लालता प्रसाद निवासी पांचो सिद्ध बनवीर काछ थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

चोरी की 01 हीरो सुपर स्प्लेंडर मोटर साइकिल बरामद(फर्जी नंबर प्लेट के साथ)

पुलिस टीम-

उ0नि0 सूर्यप्रताप सिंह मय हमराह, उ0नि0 अखलेश प्रताप, हे0का0 अमानत अंसारी, का0 मनीष पाण्डेय, का0 राजेश कुमार थाना कोतवाली देहात, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज -

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत गोसाई के पुरवा के पास स्थित बगिया ग्राम गोसाई के पुरवा, मजरे अमावां के पास से अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा0 अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.07.2024 को समय 10.35 बजे **अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव** के नेतृत्व में उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 दुर्गाप्रसाद यादव, का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत गोसाई के पुरवा के पास स्थित बगिया ग्राम गोसाई के पुरवा, मजरे अमावां के पास से 01 अभियुक्त उत्कर्ष तिवारी पुत्र रघुनन्दन तिवारी निवासी ग्राम गोसाई के पुरवा मजरे अमावां थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त उत्कर्ष तिवारी उपरोक्त के कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया उपरोक्त बरामदगी के संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 255/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- उत्कर्ष तिवारी पुत्र रघुनन्दन तिवारी निवासी ग्राम गोसाई के पुरवा मजरे अमावां थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 दुर्गाप्रसाद यादव, का0 योगेश कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज –

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ एक और कड़ा एक्शन

पुलिस अधीक्षक द्वारा चेकिंग के दिए गये हैं सख्त निर्देश

चेकिंग के दौरान 05 अदद देशी बम बरामद

थाना लालगंज पुलिस द्वारा क्षेत्रान्तर्गत वर्मा नहर नगर रोड़ ग्राम सराय, भागमानी के पास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डा. अनिल कुमार के निर्देशन में आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक 05.07.2024 को समय 06.20 बजे **अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी, प्रतापगढ़ श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज नीरज कुमार यादव के नेतृत्व में** उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 दुर्गाप्रसाद यादव, का0 ऋषिकेश इन्दौलिया, का0 योगेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र, संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर क्षेत्रान्तर्गत

वर्मा नहर नगर रोड़ ग्राम सराय, भागमानी के पास से **01 अभियुक्त मो0 अरशद पुत्र मो0 जुल्फीकार ग्राम खरावां मजरे गौखाडी़ थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़** को 05 अदद देशी बम के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मो0 अरशद उपरोक्त के कब्जे से 05 देशी बम बरामद किया गया जिसके संबंध में थाना लालगंज में मु0अ0सं0 254/2024 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1- मो0 अरशद पुत्र मो0 जुल्फीकार ग्राम खरावां मजरे गौखाडी़ थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

05 अदद देशी बम बरामद।

पुलिस टीम- उ0नि0 दीपक कुमार यादव मय हमराह का0 दुर्गाप्रसाद यादव, का0 ऋषिकेश इन्दौलिया, का0 योगेश कुमार थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना साँगीपुर –

हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता व 01 बाल अपचारी गिरफ्तार

दिनांक 02.07.2024 को आरोपीगण द्वारा थाना साँगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नवहादल के खेल मैदान में 01 लड़के की डण्डे से मारकर हत्या कर दिया गया था।

हत्या करने व जातिसूचक गालीगलौज करने के आरोप में थाना साँगीपुर में दर्ज किया गया था अभियोग

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिए थे सख्त निर्देश

थाना साँगीपुर पुलिस द्वारा सम्भावित स्थानों पर अभियुक्तों की जा रही थी तलाश

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ0 अनिल कुमार के द्वारा अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिये कड़े निर्देश के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री संजय राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के निकट पर्यवेक्षण एवं थानाध्यक्ष मनीष कुमार के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 मुसाफिर यादव** मय हमराह का0 रजनेश कुमार, का0 वीरेन्द्र कुमार, म0का0 अंजली शाक्य (सादे वस्त्रों में) द्वारा थाना साँगीपुर में पंजीकृत **मु0अ0सं0 122/24 धारा 3(5), 103(1), 352 बी0एन0एस0 व 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट** में वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु क्षेत्रान्तर्गत छोटेगंज तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि ग्राम नवदाहल में जिस बालक की हत्या हुई थी उसके वांछित अभियुक्ता अपने बच्चे के साथ शाहबरी तिराहे पर मौजूद है, इस सूचना पर तत्काल मौके पर पहुचंकर शाहबरी से लेबुड़ा बार्डर के पास से महिला आरक्षी अंजली शाक्य़ की मदद से **01 अभियुक्ता सीता देवी पत्नी राकेश कुमार गुप्ता निवासिनी ग्राम सुक्खा तिवारी का पुरवा मजरे नरैनी थाना अमेठी जनपद अमेठी व 01 बाल अपचारी** को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता की निशानदेही पर उक्त आलाकत्ल डण्डा को घर के सामने बने टीनशेड के नीचे शौचालय के पास से बरामद किया गया।

मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अरूण गुप्ता की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा दिये गये सख्त निर्देश के क्रम में शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण –

गिरफ्तार अभियुक्ता नें पूछताछ में बताया कि मृतक अभय कन्नोजिया उर्फ आयुष को किक्रेट खेलते समय हमने जिस डण्डा से मारा था, वह डण्डा(आलाकत्ल) अपने घर के सामने बने टीनशेड के नीचे शौचालय के पास में छिपा कर रखा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण –

1- सीता देवी पत्नी राकेश कुमार गुप्ता उम्र करीब 38 वर्ष निवासिनी ग्राम सुक्खा तिवारी का पुरवा मजरे नरैनी थाना अमेठी जनपद अमेठी

2- बाल अपचारी।

बरामदगी – 01 आलाकत्ल डण्डा।

घटना का संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 02.07.2024 को शाम में आरोपी(बाल अपचारी) द्वारा वादिनी मुकदमा के नाती को क्रिकेट खेलने का बहाना बनाकर थाना साँगीपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नवहादल के खेल मैदान में बुलाकर अपने माता सीता देवी व अरूण गुप्ता के ललकारने पर जातिसूचक गालियां देते हुए जान से मारने के नियत से डण्डे से मारकर हत्या करने के प्रकरण में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 122/24 धारा 3(5), 103(1), 352 बी0एन0एस0 व 3(1)ध, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट बनाम 03 नामजद के अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस टीम - उ0नि0 मुसाफिर यादव मय हमराह का0 रजनेश कुमार, का0 वीरेन्द्र कुमार, म0का0 अंजली शाक्य थाना साँगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना आसपुर देवसरा

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डा. अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही के दिए सख्त निर्देश

गैर इरादतन हत्या के प्रकरण में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना आसपुर देवसरा पुलिस टीम नें थाना क्षेत्रान्तर्गत हाइवे नहर पुलिया, छतौना के पास से अभियुक्त गिरफ्तार किया गया

थानाक्षेत्र पट्टी के ग्राम सलाहपुर 01 व्यक्ति को लोहे की राड़, लाठी/ डण्डों मारपीट कर गंभीर रुप से घायल कर दिया था जिसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के प्रकरण में अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 18.05.2024 को थानाक्षेत्र पट्टी के ग्राम सलाहपुर में वादिनी के पुत्र मृतक रत्नेश गौतम को सूरज गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम नगर छत्तौना थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ व राजाबाबू उर्फ विजय कुमार गौतम राजेन्द्र कुमार गौतम निवासी बनगट भरथी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर ने मिलकर लोहे की राड़, लाठी/ डण्डों से मारकर गंभीर रुप से घायल कर दिया था

जिसका दिनांक 25.06.2024 को मुबंई में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने के संबंध में वादिनी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 188/2024 धारा 304 भादवि बनाम 02 नामजद अभियुक्त का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री आनन्द कुमार राय के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी आसपुर देवसरा के नेतृत्व में दिनांक 04.07.2024 को समय 05.45 बजे उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 ज्वाला सिंह, का0 शिवम यादव द्वारा तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 188/2024 धारा 304 भादवि से संबंधित 02 वांछित अभियुक्त, 01. सूरज गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम नगर छत्तौन थाना आसपुर देवसरा, प्रतापगढ़ 02. राजाबाबू उर्फ विजय कुमार गौतम राजेन्द्र कुमार गौतम निवासी बनगट भरथी थाना महाराजगंज जनपद जौनपुर को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के हाइवे नहर पुलिया, छतौना के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. सूरज गौतम पुत्र कमलेश निवासी ग्राम नगर छत्तौन थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।

02. राजाबाबू उर्फ विजय कुमार गौतम राजेन्द्र कुमार गौतम निवासी बनगट भरथी थाना महाराजगंज, जनपद जौनपुर।

गिरफ्तारी पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 प्रभात कुमार सिंह मय हमराह का0 ज्वाला सिंह, का0 शिवम यादव, थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़।